संख्या-17011/04/2011- स्था. (भत्ते)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

*****

नई दिल्ली, दिनांक 01 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय- क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी/हिन्दी तथा अंग्रेजी/हिन्दी से क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद के लिए मानदेय दिया जाना।

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस विभाग के दिनांक 31 मार्च, 1994 के का.ज्ञा. संख्या-17013/3/86- स्था. (भत्ते) में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी/हिन्दी में अनुवाद करने और अंग्रेजी/हिन्दी से क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रत्येक मामले में देय मानदेय की दर अब 5000/- रूपये प्रति वर्ष की सीमा के अध्यधीन, साधारण सामग्री के लिए 120/-रूपये प्रति हजार शब्द और तकनीकी सामग्री (कोड/मैनुअल सहित इत्यादि) के लिए 130/-रूपये प्रति हजार शब्द होगी।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यिक्तयों का संबंध है, यह भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है।

3. ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 10-03-2011 आई.डी.संख्या 14/25/2011-ई.-II (ख) के अन्तर्गत जारी किया जाता है।

(विभा गोविल मिश्रा)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

संख्या- 17011/04/2010- स्था. (भत्ते) नई दिल्ली, 01 अप्रैल, 2011

1. भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय। लेखा महा नियन्त्रक वित्त मंत्रालय

2. संघ लोक सेवा आयोग/ उच्चतम न्यायालय/ लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ मन्त्रिमण्डल सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री सचिवालय/ योजना आयोग/ कैंद्रीय सूचना के सचिव।

3. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र

4. सभी राज्यों के राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल

5. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली

6. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद/ विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य

7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/ पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग

8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ई-II (ख) शाखा

9. राजभाषा स्कन्ध (विधायी विभाग) भगवान दास रोड, नई दिल्ली

10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को www.persmin.nic.in<Allowance पर अपील करने के लिए

12. 50 अतिरिक्त प्रतियां

(विभा गोविल मिश्रा)
उप-सचिव, भारत सरकार